Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding need to review the Service Conditions of Gram Rozgar Sewaks under MNREGA

HON. CHAIRPERSON: Dr. Kalanidhi Veeraswamy -- not present.

Shri Uday Pratap Singh.

… (*Interruptions*)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, बिहार में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।**…** (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अवसर देंगे। आप बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर**,** मेरा छोटा सा मुद्दा है।**…** (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री उदय प्रताप सिंह जी।

… (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सर**,** वहाँ बिहार की पुलिस लाशों को छिपाने में लगी हुई है।**…** (व्यवधान) इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अभी बैठिए। पहले उनको बोलने दीजिए। आपको बुला लेंगे।

… (व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे देश में हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई थी। वह ग्राम रोजगार सहायक डिजिटल मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे काम ग्राम पंचायत के संधारित करता है। इनके वेतन आदि के लिए अभी मनरेगा से कुछ व्यवस्था की गई है। मेरी जानकारी में है कि मनरेगा की राशि में से कुछ राशि आहरण करके इनको वेतन दिया जाता है। ग्राम सभा के प्रस्ताव पर इनकी नियुक्ति होती है और ग्राम सभा के प्रस्ताव पर इनको अलग कर दिया जाता है। यह बड़ा तात्कालिक जैसा पद है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक आग्रह है कि जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षक के वेतन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है और उनका जो जॉब है, बाकायदा उनकी नौकरी लगती है, पूरी उम्र भर वह नौकरी करेगा, फिर उसका रिटायरमेंट होगा और उसको जो बीच की सुविधाएं आदि मिलती हैं, जैसे वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता आदि उसे सब मिलता है। इसी तरह जो हमारा रोजगार सहायक है, उसकी कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है, उसके वेतन की कोई गारंटी नहीं है, उसकी ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। मेरा आग्रह है कि भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ इनकी जॉब को तय करे कि इनका जॉब ट्रांसफरेबल होगा, भले ही जनपद के अंदर ट्रांसफर हो और उनकी नौकरी रिटायरमेंट आयु तक चले।

बगैर कोई गंभीर कारण के इनको पदमुक्त नहीं किया जाएगा और इनका वेतन, आज के समय के हिसाब से जो मापदण्ड है, जैसे शिक्षक को दिया जाता है, रेगुलर सचिव को दिया जाता है, उस तरह से वेतन आदि की व्यवस्था भी ग्राम रोजगार सहायकों की हो।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आवश्यक हो और सरकार यदि राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सकती है तो मुझे लगता है कि और सुविधा होगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।